

भारत गणराज्य तथा बेल्जियम राज्य

के बीच

सांस्कृतिक करार

—

भारत गणराज्य

और

बेल्जियम राज्य

यनिष्ठतर सांस्कृतिक संबंध स्थापित एवं विकसित करने
की सामान्य इच्छा से प्रेरित होकर, और

भारत और बेल्जियम के बीच इस प्रकार के संबंधों और
सद्भावना की, विशेषकर संस्कृति, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और
शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक संभव तरीके से संप्रवर्तित तथा विकसित
करने की इच्छा से,

सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहकारिता पर
करार करने का निश्चय किया है और इस प्रयोजन के लिए
उन्होंने,

भारत गणराज्य की
और से

श्री के० बी० लाल
बेल्जियम राज्य में
भारत के राजदूत

बेल्जियम राज्य की
और से

श्री रेनात वान स्सलॉदे
विदेश मंत्री

की अपना अपना पूर्णाधिकारी नामनिर्देशित किया है, जो
अपने-अपने प्रत्यापन-पत्रों का आदान-प्रदान करने और उन्हें सही
और सम्यक् स्म का पाकर निम्नलिखित स्म से संविद् हो गए हैं :

अनुच्छेद - 1
=====

संविदाकारी पक्षकार दोनों देशों में, विश्वविद्यालयों

तथा उच्चतर शिक्षा को अन्य संस्थाओं, तकनीकी, कलात्मक, माध्यमिक तथा अध्यापक प्रशिक्षण स्कूलों, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक तथा कलात्मक संस्थाओं, अकादमियों, संग्रहालयों और पुस्तकालयों के बीच सहकारिता को सुकर बनाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - II
=====

संविदाकारी पक्षकार, विश्वविद्यालय प्रोफेसरी और उच्च शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के सदस्यों का आदान-प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - III
=====

संविदाकारी पक्षकार, विश्वविद्यालयों, अकादमियों, पुस्तकालयों और अन्य शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा साहित्यिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक क्रिम के प्रकाशनों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - IV
=====

संविदाकारी पक्षकार, एक दूसरे देश के राष्ट्रियों को अपना अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य जारी रखने तथा अपने वैज्ञानिक, शैक्षिक, तकनीकी और कलात्मक प्रशिक्षण को अन्य पक्षकार के देश में पूरा करने के लिए, छात्रवृत्तियों के आदान-प्रदान के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे ।

अनुच्छेद - V
=====

प्रत्येक संविदाकारी पक्षकार इस बात को जांच करेगा कि

अन्य पक्षकार के क्षेत्र में प्राप्त किए गये डिप्लोमाओं तथा शैक्षिक ग्रेडों और अन्य प्रमाणपत्रों की समकक्षता को किन शर्तों पर और किस सीमा तक मान्यता दी जा सकती है ।

इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षकार इस बात की भी जांच करेंगे कि अन्य पक्षकार के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों को किस सीमा तक आंशिक रूप में समकक्षता दी जा सकती है ।

अनुच्छेद - VI
=====

संविदाकारी पक्षकार अध्ययन दौरों, व्याख्यान देने और सम्मेलनों, कौंसिलों, सेमिनारों तथा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक तथा कलात्मक उत्सवों में भाग लेने के लिए प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, लेखकों, कलाकारों और अन्य विशेषज्ञों के पारस्परिक अभ्यागमनों को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - VII
=====

संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार के वैज्ञानिकों, अनुसंधान कार्यकर्ताओं तथा वैज्ञानिक और शैक्षिक शिष्टमण्डलों को उनके अध्यापनों तथा अनुसंधानों में सहायता देने के लिए अपने अपने देशों में प्रत्येक संभव सुविधाएं प्रदान करेंगे और विशेषकर शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षा-विज्ञान संबंधी संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों तथा संग्रहालयों के उपयोग को अनुमति देंगे ।

अनुच्छेद - VIII
=====

संविदाकारी पक्षकार, रेडियो, प्रेस, टेलीविजन, फिल्मों और इसी प्रकार के अन्य जन-माध्यमों के जरिए एक दूसरे की संस्कृति की जानकारी के प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद- IX
=====

संविदाकारी पक्षकार, अपने अपने देश में, दूसरे पक्षकार द्वारा, संगीत - सभाओं, नृत्य-नाटक (बाले), थियेटर संबंधी प्रदर्शन, कला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रदर्शनियों को आयोजित करने में एक दूसरे को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।

अनुच्छेद - X
=====

संविदाकारी पक्षकार एक दूसरे के मान्यता-प्राप्त युवक संगठनों और वयस्क शिक्षा संगठनों के बीच सहकारिता को प्रोत्साहित करेंगे ।

शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद- XI
=====

संविदाकारी पक्षकार, अपने अधीन सभी साधनों के जरिए और एक दूसरे के देश में विद्यमान कानूनों के अधीन, इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यपुस्तकों में दूसरे पक्षकार के देश के संबंध में कोई मिथ्या वर्णन अन्तर्विष्ट न हो ।

अनुच्छेद - XII
=====

संविदाकारी पक्षकार अन्य पक्षकार के लेखकों की वैज्ञानिक, तकनीकी, कलात्मक तथा साहित्यिक पुस्तकों के अनुवाद, प्रकाशन और वितरण को प्रोत्साहित करेंगे । वे अपनी अपनी विशिष्ट पत्रिकाओं में अन्य पक्षकार के सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक किस्म के लेखों के प्रकाशन को सुकर बनाएंगे ।

अनुच्छेद - XIII
=====

प्रत्येक सँविदाकारी पक्षकार लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में शैक्षिक और सांस्कृतिक प्रयोजनों के लिए सांस्कृतिक संस्थाओं की स्थापना का स्वागत करेंगे ।

अनुच्छेद - XIV
=====

सँविदाकारी पक्षकार अपने बीच बेहतर सद्भावना को बढ़ाने और अपनी मित्रता को सुदृढ़ करने की दृष्टि से दोनों देशों के बीच पर्यटन को विकसित करने के लिए उठाये गये कदमों को प्रोत्साहित करेंगे ।

अनुच्छेद - XV
=====

- 1- विद्यमान करार के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक स्थायी भारत-बेल्जियम आयोग की स्थापना की जाएगी, जिसमें दस सदस्य होंगे ।
- 2- स्थायी आयोग के बेल्जियम के पांच सदस्य विदेश मंत्री की सहमति से राष्ट्रीय शिक्षा और संस्कृति के कार्यभारी मंत्रियों द्वारा नामज़द किये जाएंगे । पांच भारतीय सदस्य भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।
- 3- स्थायी आयोग की बैठक प्रत्येक दो वर्षों में कम से कम एक बार, बारी बारी से भारत और बेल्जियम में होगी ।
- 4- आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—
 - (क) करार के कार्यकरण का आवधिक पुनर्विलोकन करना ;
 - (ख) संबंधित सरकार की करार के कार्यान्वयन की विस्तृत रीति के संबंध में सलाह देना ;

- (ग) सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक विनियम्य कार्यक्रम बनाना और उनकी प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
- (घ) इस करार की परिधि के अन्तर्गत किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें कोई भी पक्षकार हितबद्ध हो, सम्बन्धित सरकार को सिफारिश करना, और
- (ङ) सम्बन्धित सरकार की साधारणतया उस रीति के बारे में सलाह देना जिससे करार के कार्यक्रम की सुधारा जा सके ।

5- स्थायी आयोग अपनी बैठकों में सलाहकार की हैसियत से भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है ।

अनुच्छेद - XVI
=====

विद्यमान करार, अनुसमर्थन - लिखितों के विनियम की तारीख से, जो नई दिल्ली में किया जाएगा, लागू होगा और यह, जिस तारीख से संविदाकारी पक्षकारों में से कोई करार को अवसित करने के लिए अपने आशय की लिखित स्म में सूचना दे, उस तारीख से छः महीनों के अवसान तक प्रवर्तन में रहेगा ।


इसके अवसित होने पर, विभिन्न लाभग्राहियों द्वारा प्राप्त स्थिति, उस समय के चालू वर्ष के अन्त तक और अध्येताओं के मामले में उस समय के चालू शैक्षिक वर्ष के अन्त तक जारी रहेगी ।

जिसके सक्षय में, पूर्वतर अभिहित पूर्णधिकारियों ने
वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किये हैं और उस पर अपनी
अपनी मुद्राएँ लगाईं ।

ब्रूसेल्स में शक सखत् एक हजार आठ सौ पचानवे के भाद्रपद
के तीसरे दिन, तदनुसार एक हजार नौ सौ तिहत्तर के सितम्बर
के द्वादशे दिन, आठ मूल प्रतियों में, हिन्दी, डच,
फ्रेंच और अंग्रेजी भाषाओं में दो दो प्रतियों में किया गया ।
प्रत्येक पाठ समान रूप से प्रमाणित होगा ।

भारत गणराज्य

के ओर से




के० बी० लाल

बेल्जियम राज्य में
भारत के राजदूत

बेल्जियम राज्य

के ओर से



रेनात वान स्त्सलदि
विदेश मंत्री

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDIA AND THE KINGDOM OF BELGIUM

.....

The Republic of India

and

The Kingdom of Belgium

INSPIRED by a common desire to establish and develop
closer cultural relations and

DESIROUS of promoting and developing in every possible
manner such relations and understanding between India
and Belgium, specially in the realm of culture, art,
science, technology and education,

HAVE DECIDED to conclude an agreement for cultural,
scientific and technical cooperation and for that
purpose, have nominated their plenipotentiaries i.e.,

For the Government of
the Republic of India

Shri K. B. Lall,
Ambassador of India to
the Kingdom of Belgium

For the Government of
the Kingdom of Belgium

Mr. Renaat Van Elslande,
Minister for Foreign Affairs

Who, after having exchanged their credentials and found
them in good and due form have agreed as follows:-

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall facilitate and
encourage cooperation between universities and other
institutions of higher education, technical, artistic,
secondary and teachers training schools, scientific
laboratories, scientific and artistic associations,
academies, museums and libraries in the two countries.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall exchange university professors and teachers in higher educational institutions and members of scientific bodies.

ARTICLE 3

The Contracting Parties undertake to encourage the exchange of books, magazines and publications of literary, artistic, cultural, academic and scientific nature between universities, academies, libraries and other educational, scientific and cultural institutions.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall endeavour to step up the exchange of scholarships to enable the nationals of either country to pursue their studies or research work and to complete their scientific, educational, technical and artistic training in the other country.

ARTICLE 5

Each Contracting Party shall examine on what conditions and to what extent the equivalence of diplomas and academic grades and other certificates obtained in the territory of the other Party can be recognized.

In addition, the Parties shall examine to what extent partial equivalence can be accorded to studies undertaken in the other Party's territory.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall encourage the reciprocal visits of professors, educationists, writers, artists and other experts for study tours, delivering lectures and participation in conferences, congresses, seminars and important cultural and artistic events.

ARTICLE 7

The Contracting Parties shall afford in their respective countries all possible facilities to scientists research workers and scientific and educational delegations from the other Contracting Party in order to help them in their studies and researches, particularly by giving them access to educational institutions, pedagogic institutes, laboratories, libraries, archives and museums.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall encourage dissemination of knowledge of each other's culture through radio, press, television, films and similar other mass media.

ARTICLE 9

The Contracting Parties shall grant each other necessary assistance for the organisation in their respective countries of concerts, ballet, theatrical performances, art, scientific and technical exhibitions by the other Party.

ARTICLE 10

The Contracting Parties shall encourage cooperation between their recognized youth organisations and the organisations for adult education. They will facilitate exchanges in the field of physical education and sports.

ARTICLE 11

The Contracting Parties shall endeavour through all means in their power and subject to the laws in each country to ensure that text-books do not contain any misrepresentation about the country of the other Party.

ARTICLE 12

The Contracting Parties shall encourage translation, publication and diffusion of scientific, technical,

artistic and literary work of authors of the other Party. They shall facilitate the publication in their own specialised reviews of articles of scientific and cultural nature dealing with the other Party.

ARTICLE 13

Each Contracting Party shall welcome the creation of cultural institutes for educational and cultural purposes on its territory subject to the laws and regulations in force.

ARTICLE 14

The Contracting Parties shall encourage initiatives undertaken to develop tourism between the two countries with a view to promoting better understanding between them and strengthening their friendship.

ARTICLE 15

1. For the fulfilment of the objectives of the present Agreement, a permanent Indo-Belgian Commission consisting of ten members shall be constituted.
2. The five Belgian members of the Permanent Commission shall be nominated by the Ministers incharge of National Education and Culture with the concurrence of the Minister of Foreign Affairs. The five Indian members shall be appointed by the Government of India.
3. The Permanent Commission shall meet at least once every two years, alternately in India and Belgium.
4. The objects of the Commission will be :-
 - a) To keep under periodical review the working of the Agreement;
 - b) To advise the Governments concerned on the detailed manner of carrying out the Agreement;

- c) To formulate cultural, scientific and educational exchange programmes and review their progress;
 - d) To recommend to the Party concerned any items of interest to either Party in the fields within the scope of this Agreement; and
 - e) Generally to advise the Government concerned as to the manner in which the working of the Agreement may be improved upon.
5. The Permanent Commission may invite experts to attend its meetings in an advisory capacity.

ARTICLE 16

The present Agreement shall come into force on the date of the exchange of the instruments of ratification, to take place at New Delhi and shall remain in force until the expiry of six months from the date on which either of the Contracting Parties shall give notice in writing of its intention to terminate the Agreement.

In case of termination, the status enjoyed by various beneficiaries shall continue till the end of the year then running, and in the case of scholars, till the end of the academic year then running.

IN WITNESS WHEREOF, the Plenipotentiaries authorised, therefore, have signed the present Agreement and affixed their seals thereto.


Done at Brussels on the thirtieth day
of Bhadrapad the Saka Year One Thousand, Eight
Hundred and Ninetyfive, corresponding to the twenty-first
day of September One Thousand, Nine Hundred and
Seventythree, in eight originals, two each in
English, Hindi, Dutch and French languages, each text
being equally authentic.

FOR THE REPUBLIC OF INDIA



(K.B. Lall)
Ambassador of India

FOR THE KINGDOM OF BELGIUM



(Renaat Van Elslande)
Minister for Foreign
Affairs